



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015-फाल्गुन 22, शके 1936

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के 8वीं एवं 9वीं की मार्कशीट तथा स्कूल अभिलेखों में उसका नाम रंजन यादव तथा पिता का नाम मुरारी प्रसाद गलती से दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि पुत्र का सही नाम रंजन कुमार यादव व पिता का सही नाम मुरारी कुमार यादव दर्ज होना चाहिये था.

अतः मेरे पुत्र की मार्कशीट में उसका नाम रंजन यादव व उसके पिता के गलत नाम मुरारी प्रसाद स्थान पर सही नाम रंजन कुमार यादव व पिता का सही नाम मुरारी कुमार यादव लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( मुरारी प्रसाद )

(653-बी.)

नया नाम :

( मुरारी कुमार यादव )

निवासी-A-22, बिड़लग्राम नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री स्नेहा यादव के 7वीं एवं 8वीं की अंकसूची तथा स्कूल अभिलेखों में उनके पिता का नाम मुरारी कुमार यादव की जगह मुरारी प्रसाद यादव दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि पिता का सही नाम मुरारी कुमार यादव दर्ज होना चाहिये था. अतः मेरी पुत्री कु. स्नेहा यादव की अंकसूची में उसके पिता के गलत नाम मुरारी प्रसाद यादव के स्थान पर सही नाम मुरारी कुमार यादव लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( मुरारी प्रसाद यादव )

(654-बी.)

नया नाम :

( मुरारी कुमार यादव )

निवासी-A-22, बिड़लग्राम नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

मेरा नाम पहले अन्तूराम था. अब मेरा नाम अनन्तराम हो गया है अब मुझे सरकारी, असरकारी समस्त दस्तावेजों में इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

( अन्तूराम )

(655-बी.)

नया नाम :

( अनन्तराम )

219, कंचन स्कूल के पास, संजय नगर,  
शाहजहानाबाद, भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता रवि शपथ करता हूँ कि मेरा वास्तविक नाम रवि बड़ोदिया पिता राधेश्याम बड़ोदिया है मुझे घर व गांव में रवि नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मेरा नाम पांचवी, आठवीं की अंकसूची में रवि कुमार है. दसवीं में रवि, बारहवीं की अंकसूची में रवि बड़ोदिया और स्नातक की अंकसूची में रवि बड़ोदिया है मैं अपना वास्तविक रिकार्डेड नाम रवि बड़ोदिया पिता राधेश्याम बड़ोदिया करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ. मैं शपथ कथन करता हूँ कि मुझे रवि बड़ोदिया के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा सभी रिकार्ड में मेरा नाम रवि बड़ोदिया माना जावे.

पुराना नाम :

( रवि/रवि कुमार )

(656-बी.)

नया नाम :

( रवि बड़ोदिया )

पिता-राधेश्याम बड़ोदिया  
निवासी-शामगढ़, जिला मंदसौर.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरिश खण्डेलवाल ने अपना नाम परिवर्तन कर "हरिशंकर खण्डेलवाल " कर लिया है. तथा मेरे सभी दस्तावेज "हरिशंकर खण्डेलवाल " के नाम पर ही है. भविष्य में मुझे इसी नाम से पढ़ा एवं जाना जावे.

पुराना नाम :

( हरिश खण्डेलवाल )

(657-बी.)

नया नाम :

( हरिशंकर खण्डेलवाल )

114, गोयल नगर, इन्दौर ( म.प्र. ).

### उप-नाम परिवर्तन

समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों/शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में तथा मेरे नियोक्ता मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (अपेक्स बैंक) में मेरा नाम अनिल कुमार सरेठा पिता श्री सुन्दरलाल सरेठा था, आगे से मुझे उपरोक्त एवं सभी दस्तावेजों में अनिल कुमार सराठे पिता सुन्दरलाल के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

( अनिल कुमार सरेठा )

(658-बी.)

नया नाम :

( अनिल कुमार सराठे )

निवासी-सी-331, सर्वधर्म सी-सेक्टर,  
बीमाकुंज के सामने, कोलार रोड, भोपाल ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे ( Sohel Khan ) के नाम से जाना जाता था. अब मुझे वर्तमान में ( Suhel Khan ) के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( सोहेल खान )

( SOHEL KHAN )

(659-बी.)

नया नाम :

( सुहेल खान )

( SUHEL KHAN )

E-8/19, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी,  
रविशंकर नगर, भोपाल ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व नाम आशु चावला था. आज दिनांक से उसे नये नाम रमनीत सिंह चावला पुत्र अमरजीत सिंह चावला के नाम से जाना-पहचाना जाए, सभी शासकीय एवं स्कूल में नया नाम दर्ज किया जाए,

अमर जीत सिंह चावला,

AMAR JEET SINGH CHAWLA,

पता-197, पंचवटी कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड,

लालघाटी, भोपाल ( म.प्र. ).

(665-बी.)

**TO WHOM SO EVERY IT MAY CONCERN**

Know all men by these presents that from the firm M/s Om Sai Aakarsh, construction Shop No. 6, Sharda Complex Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur, Master Chirag Jaiswal S/o Shri Rajendra Jaiswal & Master Aakarsh Jaiswal have retired from firm on 18<sup>th</sup> August, 2014 and the remaining partners have given their consent. The registration No. of firm is 04/14/01/00161/12, dated 13<sup>th</sup> September, 2012.

For-Om Sai Aakarsh Constuction,  
**ARTI JAISWAL,**  
(Partner).

(660-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी समान, रीव से दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है. 1. स्व. श्री दिलीप कुमार सिंह, 2. श्री पंकज कुमार सिंह, 3. श्री राजनारायण सिंह फर्म के शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

For-Pragati Construction Co.  
**अलका सिंह,**  
(पार्टनर)

(661-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स 99, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331, पंजीयन क्रमांक (03/27/01/00050/12) ने अपनी साझेदारी में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 को श्रीमति नीशा दुबे पति श्री नितिन दुबे, ए. एन. 37, एकता नगर, नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450221 साझेदारी से निवृत्त हो गयी जिनका भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा और फर्म के जारी रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड,  
**संजय अग्रवाल,**  
(मेनेजिंग डायरेक्टर)  
वास्ते—मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स  
99, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331.

(668-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनाईटेड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रेम बिहार कॉलोनी, सतना से दिनांक 09 फरवरी, 2015 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है. (1) श्री राहुल खिलवानी, (2) श्री कार्तिकेय सिंह. उक्त दिनांक से ही फर्म में नये पार्टनर श्री रजत सिंह बघेल को शामिल किया गया है. फर्म के शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

For-M/s United Construction Co.  
**मोहित खिलवानी,**  
(Partner)

(662-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स म. नं. 140, बुधवारा बाजार, नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450221, पंजीयन क्रमांक (03/27/01/00050/12) ने अपनी साझेदारी में दिनांक 10 मार्च, 2014 को श्री विनोद पाटील पिता श्री पंडितराव पाटील, आदर्श कॉलोनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450221 साझेदारी से निवृत्त हुए. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं साझेदारी फर्म में 10 मार्च, 2014 को संशोधन कर नवीन साझेदार टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्फत-श्री संजय अग्रवाल, मेनेजिंग डायरेक्टर), 98, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331 को फर्म में सम्मिलित किया गया जो कि भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेअर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और फर्म के जारी रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

**प्रकाश जैन ,**  
(भागीदार)  
वास्ते—मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स  
म. नं. 140, बुधवारा बाजार, नेपानगर,  
जिला बुरहानपुर (म.प्र.) 450221.

(669-बी.)

**सार्वजनिक सूचना-पत्र****( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुरुकृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता प्लॉट नं. 65/1, गुरुकृपा भवन बाणगंगा मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में दिनांक 09 फरवरी, 2015 श्री अखिलेश कोठारी पिता श्री संतोष कोठारी, विजीत रामावत पिता श्री विजय रामावत एवं श्री अरविन्द पिता श्री शांतिप्रिय डोसी नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं।

एतदनुसार सूचित होंगे।

For-Gurukripa Infrastructure,  
अरविन्द डोसी,  
(Partner)

(663-बी.)

**भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स म. नं. 140, बुधवारा बाजार, नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450221, पंजीयन क्रमांक (03/27/01/00050/12) से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 10 नवम्बर, 2014 से फर्म का पता 99, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331 हो गया है। अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित।

टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड,  
संजय अग्रवाल,  
(मेनेजिंग डायरेक्टर)

वास्ते—मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स

99, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331.

(668-ए-बी.)

**सार्वजनिक सूचना-पत्र****( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुरुकृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता प्लॉट नं. 65/1, गुरुकृपा भवन बाणगंगा मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म से श्री हेमन्त पुरोहित पिता लालजी पुरोहित, शंकर सिंह ठाकुर पिता श्री तुलसीदास ठाकुर, मनोज सिंह ठाकुर पिता श्री अंतर सिंह ठाकुर एवं अशोक दीक्षित पिता श्री गयाप्रसाद दीक्षित ने साझेदारी फर्म ने दिनांक 24 फरवरी, 2015 निवृत्ति प्राप्त कर ली है।

एतदनुसार सूचित होंगे।

For-Gurukripa Infrastructure,  
अरविन्द डोसी,  
(Partner).

(663-ए-बी.)

**आम सूचना**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की फर्म मेसर्स परसराम करोडीलाल पंजीयन क्रमांक 1983, दिनांक 15 जनवरी, 1970 से पंजीकृत है उक्त फर्म में दो भागीदार श्री परसराम गुप्ता आत्मज श्री गया प्रसाद एवं श्री करोडीलाल आत्मज श्री पंचमलाल अग्रवाल दो भागीदार थे। भागीदार श्री करोडीलाल अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 21 अगस्त, 2014 को हो गई है उनकी मृत्यु के बाद दिनांक 23 अगस्त, 2014 को उक्त फर्म में श्री करोडीलाल अग्रवाल भागीदार के स्थान पर उनके पुत्र मनोज कुमार अग्रवाल एवं पुत्र मनीष कुमार अग्रवाल विधिक वारसानों को नये भागीदारों के रूप में सम्मिलित करके परिवर्तन करके नई भागीदारी डीड निष्पादित की गई है। इस कारण उक्त फर्म में परिवर्तन सूचना निम्नलिखित भागीदारों का नाम भागीदारी रचना दर्ज पंजी में दर्ज करने हेतु सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी जबलपुर, संभाग जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। परिवर्तित भागीदारों के नाम निम्नानुसार हैं:-

1. मनोज कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 50 वर्ष।
2. मनीष कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 37 वर्ष

दोनों आत्मज स्व. करोडीलाल अग्रवाल दोनों निवासी-542, कोतवाली वार्ड, जबलपुर.

उक्त फर्म में उक्त नये भागीदारों के नाम दर्ज करने, परिवर्तन करने के बावद् यह आम सूचना जारी की गई है।

जे. एल. सोनी,  
(एडवोकेट)

द्वारा—मेसर्स परसराम करोडीलाल,  
फर्म जबलपुर.

(664-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स 99, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331, पंजीयन क्रमांक (03/27/01/00050/12) ने अपनी साझेदारी में दिनांक 10 नवम्बर, 2014 को श्री प्रकाश जैन पिता श्री देवीलाल जैन, पता -मकान नं. 140, बुधवारा बाजार, नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450221 एवं सीमा जैन पति श्री प्रकाश जैन, पता म. नं. 140, बुधवारा बाजार नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450221 साझेदारी से निवृत्त हुए. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं साझेदारी फर्म में 10 नवम्बर, 2014 को संशोधन कर नवीन साझेदार मोहित अग्रवाल 101, व्यंकटेश विला, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331 को फर्म में सम्मिलित किया गया जो कि भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेअर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और फर्म के जारी रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड,

**संजय अग्रवाल,**

(मेनेजिंग डायरेक्टर)

वास्ते—मेसर्स मंगल मुर्ति मिनरल्स

99, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331.

(668-बी-बी.)

### सर्व सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मिश्रा इन्टरप्राइजेज स्थित डी-1, साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल में स्थित है एवं दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 से नये भागीदार 1. श्री अंचल अग्रवाल पुत्र श्री राजीव अग्रवाल, निवासी 105, लीला परिसर, गिरधर परिसर, कोलार रोड, भोपाल एवं 2. श्री हेमन्त शुक्ला पुत्र श्री सतीश शुक्ला, निवासी टी/39, वन्दना नगर कोलार रोड, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

**उमेश मिश्रा,**

(भागीदार)

फर्म मेसर्स मिश्रा इन्टरप्राइजेज,

डी-1, साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड,

भोपाल (म. प्र.).

(666-बी.)

### सूचना

सूचित किया जाता है कि मे. माँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स फर्म से संजय यादव पिता रघुवीर प्रसाद यादव दिनांक 20 फरवरी, 2015 से अलग हो रहे हैं एवं दिनांक 20 फरवरी, 2015 से भागीदार क्र. 02 में शिल्पा तिवारी W/o श्री नीरज तिवारी जुड़ रहीं हैं.

सूचनाकर्ता,

**नीरज तिवारी,**

(भागीदार)

माँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स

यश बिहार कॉलोनी, शिवाजी वार्ड,

सागर (म. प्र.).

(667-बी.)

### NAME OF CHANGE

I, Ram Brajesh S/o Mr. Muloo Singh, R/o Noor Ganj, Ward No.5, Near New Police Station, Gohad, Bhind (M. P.), have changed my name to Ram Brajesh Prajapati.

Old Name :

**( Ram Brajesh )**

New Name :

**( Ram Brajesh Prajapati )**

S/o Muloo Singh.

Address—Noor Ganj, Ward No.5.

Near New Police Station, Gohad, Bhind (M. P.).

(670-B.)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

बड़वानी, दिनांक 26 फरवरी, 2015

क्र./डाईट/2015/754.—जिला चिकित्सालय बड़वानी के उपयोग हेतु अपेक्षित निम्नलिखित खाद्य सामग्री “अ” “ब” “स” “द” वर्ग के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक प्रदाय करने बाबद् निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाएं विभिन्न वर्गों के लिए पृथक्-पृथक् सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाना है।

निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 20 मार्च, 2015 तक दिन के 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। निर्देशित दिनांक एवं समय पश्चात् निविदा ग्रहण नहीं की जावेगी।

खाद्य सामग्री की सूची एवं निविदा से सम्बन्धित शर्तें दिनांक 18 मार्च, 2015 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा फार्म की राशि पृथक्-पृथक् वर्ग के लिए रुपये 260/- शासकीय कोषालय में शीर्ष मद “0210 मेडिकल व अन्य प्राप्तियाँ” में चालान से जमा की जाना होगी। निविदा फार्म दिनांक 18 मार्च, 2015 तक कार्यालयीन समय में वितरित किये जावेंगे।

1. निविदा फार्म 250/- रुपये प्रति फार्म एवं निविदा का लिफाफा रुपये 10/- प्रति नग की दर से कुल रुपये 260/- की राशि से चालान द्वारा शीर्ष हेड 0210 मेडिकल अन्य प्राप्तियाँ (खाद्य पदार्थ निविदा हेतु) जमा किये जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर कार्यालयीन समय किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा फार्म दिनांक 19 मार्च, 2015 से एक दिन पूर्व तक ही दिये जावेंगे।
2. वार्षिक निविदा में दर्शाई वस्तुओं के भाव 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक या अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेंगे।
3. निविदाएं खण्डवार पृथक्-पृथक् लिफाफे में प्रस्तुत करना होंगीं।
4. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही निविदाकार से क्रय की जावेगी।
5. खाद्यान्न वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए।
6. दो प्रतिशत बयाने की राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/सावधि जमा (एफ. डी. आर.) के रूप में मान्य होगी। नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/सावधि जमा सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बड़वानी के नाम से देय होगा।
7. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी जो वाणिज्यकर विभाग में पंजीबद्ध होंगे। वाणिज्यकर विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। व्यापारी को टिन नं. प्रस्तुत करना होगा।
8. प्रथम खण्ड में उल्लेखित सामग्री के नमूने निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तुत करना होंगे। निविदा फार्म में नमक, तेल के ब्रान्ड नामों का उल्लेख सामग्री के नाम के साथ किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत ब्रान्ड ही क्रय किया जावेगा। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रान्ड नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। नमूना 500-500 ग्राम के पारदर्शी पैक में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर व वेट टेक्स काटा जावेगा। भुगतान हेतु बैंकर्स चैंक पर बैंक का कमीशन व्यापारी से ही काटा जावेगा।
10. निविदाकार को वस्तुओं के भाव अंकों एवं शब्दों में लिखना होगा। काट-छाट एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
11. निविदाकार को माल की डिलेवरी मांगपत्र अनुसार निविदाकार को चिकि. की भोजनशाला पर देनी होगी।
12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
13. निविदाएं कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों एवं सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 20 मार्च, 2015 को सायंकाल 05.00 खोली जावेंगीं। दिनांक व समय के परिवर्तन की सूचना निविदाकारों को पृथक् से सूचना दी जावेगी।
14. सीलबन्द निविदा नमूने, ठेके की लागत के 02 प्रतिशत के हिसाब से बयाने की रकम एवं अन्य आवश्यक सहपत्रों सहित इस कार्यालय में निविदा खुलने की दिनांक को दोपहर 03.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। डाक से भेजी गई निविदाएं भी मान्य होंगीं। यदि वे निर्धारित तिथि को निर्धारित समय तक कार्यालय में उपरोक्त शर्तों के अधीन प्राप्त हो जाने पर।

15. सफल निविदाकार को निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाणपत्र, पत्र की मूल प्रति या सफल निविदाकार शोध क्षमता प्रमाण-पत्र के स्थान पर निविदा की रकम के 10/- तक नगद प्रतिभूति दे सकेगा जिसमें निविदा के साथ साथ दो प्रतिशत बयाने की रकम भी शामिल होगी. प्रतिभूति की राशि सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नाम से देय होगी.
16. जिस निविदाकार की निविदा भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो उसे तत्काल करारनामा भरना होगा जिसकी एक प्रति कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है.
17. निविदा में दर्शाई गई माल की मात्रा अनुमानित है आवश्यकता पड़ने पर माल की मात्रा कम या अधिक की जा सकेगी. माल प्रदायगी स्वीकृत ट्रेड मार्क अथवा निर्माता का नाम या नमूने के अनुसार करनी होगी यदि कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जावेगी. अस्वीकृत माल निविदाकार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा. प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जावेगा.
18. अस्वीकार की गई वस्तु व्यापारी को भोजनशाला के गेट से स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय में वापस ले जानी होगी. अन्यथा वस्तु की निलामी कर दी जावेगी. निलामी में प्राप्त राशि में से निलामी का खर्च काटकर शेष राशि व्यापारी को प्रदाय की जावेगी.
19. मांगपत्र के अनुसार माल की प्रदायगी मांगपत्र प्राप्ति के तीन दिवस में न होने पर माल की खरीदी खुले बाजार से की जावेगी जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से ली जा सकेगी. यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा प्रतिभूति राशि में से की जा सकेगी. वसूली के कारण प्रतिभूति राशि में कमी होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि में हुई कमी को पूरा करने के लिए सूचना दी जावेगी. सूचना प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर ठेकेदार कमी को पूरा करेगा. इस शर्त को यदि निविदाकार द्वारा माह में 3-4 बार औसत वर्ष में 40 बार उल्लंघन किया जाता है तो उसको भविष्य के लिए विभाग में निविदाएं प्राप्त करने के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जावेगी.
20. प्रत्येक निविदाकार को निम्न जानकारी सीलबन्द लिफाफे के ऊपर देना अनिवार्य है:-
  - अ. निविदा वर्ष .....
  - ब. खण्ड का नाम .....
  - स. दो प्रतिशत बयाने की रकम हेतु बैंक ड्राफ्ट/एफ. डी. आर./ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र संलग्न है अथवा नहीं. यदि है तो उसका क्रमांक....., दिनांक ....., राशि..... लिखें.
  - द. प्रस्तुत किये गये नमूनों की संख्या लिखें.....
  - इ. नवीनतम विक्रय कर निष्कासन प्रमाण-पत्र है अथवा नहीं.
  - ई. वाणिज्य का पंजीयन प्रमाण-पत्र है या नहीं.
  - उ. खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु नगरपालिका निगम की चालू वर्ष की अनुज्ञप्ति एवं नियम में व्यापारी के पंजीकृत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है अथवा नहीं.
  - ड. सब्जी के लिए कृषि मण्डी समिति का चालू वर्ष का प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न है अथवा नहीं.
21. गेहूँ, चावल, शक्कर आदि शासकीय संस्थाओं से प्राप्त न होने पर निविदाकार से क्रय की जावेगी.
22. समस्त पूर्तियाँ समझौते के अनुसार किशतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षित/मासिक इन्डेंट के आधार पर चिकित्सालय की भोजनशाला पर करनी होगी.
23. निविदा में उल्लेखित सामग्री संबंधित/प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी मांगपत्रों के अनुसार प्रदाय करना होगा. देयकों को भुगतान भी संबंधित विभाग द्वारा ही किया जावेगा.
24. निविदा फार्म एवं निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज निविदा फार्म के साथ दिये गये निर्धारित लिफाफे जो कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुद्रा एवं हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित हो में रखे जावे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा.
25. ठेकेदार द्वारा प्रदाय वस्तुएं नमूनों से मेल खायेगी तथा स्वास्थ्यप्रद एवं साफ होगी. वो कूड़ा-कंकड़, मिट्टी, पत्थर या अन्य विजातीय वस्तुओं कीड़े मकोड़ों और घुन से मुक्त होगी तथा उपयोग योग्य होगी.
26. निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जावें वे समस्त करों सहित होना चाहिए पृथक् से कोई कर देय नहीं होगा.
27. नमूने का चयन एवं माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा की जावेगी जो मान्य होगी.

28. सब्जियाँ साफ, स्वच्छ एवं ताजी प्रदाय करना होगी जो प्रतिदिन प्रातः 07 से 09 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला चिकित्सालय के किचन तक पहुँचानी होगी. निर्धारित समय तक सब्जियाँ प्राप्त न होने पर मरीजों को भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिए खुले बाजार से सब्जियाँ क्रय की जावेंगी एवं विलम्ब से भेजी गई सब्जियाँ वापस कर दी जावेंगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे.
29. बिलों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा.
30. निविदा तथा करार नामे के अनुसार पूर्ति के सम्बन्ध में सभी विवादों हेतु न्याय क्षेत्र बड़वानी होगा.

अमर सिंह विष्णार,

सिविल सर्जन

सह. मुख्य अस्पताल अधीक्षक.

(131)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया, जिला दमोह

प्रारूप क्रमांक-4

[ देखें नियम-5 (1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा ]

यह कि श्री विष्णु प्रसाद बादल अध्यक्ष श्री देव काशीनाथ महादेव मंदिर बड़ा तालाव पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिदिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन-पत्र किया है एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2015 के माह मार्च के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम पता	..	श्री देव काशीनाथ महादेव मंदिर बड़ा तालाव पथरिया, जिला दमोह.
सम्पत्ति का विवरण	..	1. मौजा पथरिया, तहसील पथरिया, जिला दमोह में रकवा 155×66 वर्गफीट भूमि है. 2. जिसमें मंदिर 45×100 वर्गफीट है. 3. चल सम्पत्ति करीबन 10,950 रुपये. (शासकीय भूमि खसरा नं. 440 रकवा 0.275)

नंदलाल सामरथ,

अनुविभागीय अधिकारी.

(130)

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम

रतलाम, दिनांक 26 फरवरी, 2015

क्र./234/न.ग्रा.नि./स्था./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सैलाना निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. सैलाना निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:-

- |                       |                |                    |                        |              |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 1. कस्वा सैलाना       | 2. करिया       | 3. बोदिना          | 4. भैंसा डामर          | 5. खोकरा     |
| 6. सांसर              | 7. गोवर्धनपुरा | 8. धामनोद          | 9. दिवेल               | 10. खेड़ी    |
| 11. असावरी            | 12. रीछी       | 13. मकोडिया रूण्डी | 14. आम्बाकुण्डी        | 15. कोटड़ा   |
| 16. मीठी माँ की खेड़ी | 17. धवाई खेड़ी | 18. भीलों की खेड़ी | 19. बाँगरियों की खेड़ी | 20. अडवानिया |
| 21. हरसोरा.           |                |                    |                        |              |



उपरोक्त ग्रामों के मानचित्र सर्व-साधारण के निरीक्षण के लिये कार्यालय कलेक्टर, रतलाम, नगर परिषद, सैलाना तथा कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम के सूचना पटल पर दिनांक 13 मार्च, 2015 से 11 अप्रैल, 2015 तक (तीस दिवस) कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर उपलब्ध रहेंगे।

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो उसे लिखित में कार्यालय उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिवस की कालावधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक रूप से विचार हेतु प्रस्तुत करें।

अनिता कुरोटे,  
उप-संचालक.

(150)

### कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जनवरी, 2015

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/244.—कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक/सपछि/अंके./1712/दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के संबंध में अवगत कराया गया है कि निम्न संस्थाओं के अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत संस्था की अंकेक्षण टीप अनुसार निम्न संस्थाओं को विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील दर्शाया जाने से संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है। विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक	दिनांक	विकास खण्ड	अनुशंसा का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्या., सौंसर	BPL/437	4-9-1993	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
2.	कालरी कर्म. प्रा. उप. भंडार, रावनवाड़ाखास	216	9-6-1964	परासिया	दो वर्षों से अकार्यशील
3.	संदेश प्रा. उप. भंडार, छिन्दवाड़ा	515	16-6-1995	छिन्दवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
4.	वैभव प्रियंका महिला उप. भंडार, न्यूटन	512	2-6-1995	परासिया	दो वर्षों से अकार्यशील
5.	नंदनवांसरी प्रा. उप. भंडार, नंदनवांसरी	512	11-9-1995	जुन्नारदेवा	दो वर्षों से अकार्यशील
6.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, सारोठ	310	25-09-1991	मोहखेड़	दो वर्षों से अकार्यशील
7.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, सरोरा	312	25-09-1991	मोहखेड़	दो वर्षों से अकार्यशील
8.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, घोघरी	495	29-03-1995	अमरवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
9.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, काराघांटकामठी	715	20-11-1990	पांडुर्णा	दो वर्षों से अकार्यशील
10.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, कोड़िया	720	21-12-2009	पांडुर्णा	दो वर्षों से अकार्यशील
11.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पाठई	721	21-12-2009	पांडुर्णा	दो वर्षों से अकार्यशील
12.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, मरकावाड़ा	724	21-05-2010	अमरवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
13.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, सोनपठार	753	15-02-2011	पांडुर्णा	दो वर्षों से अकार्यशील
14.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पटपड़ा	765	22-11-2011	परासिया	दो वर्षों से अकार्यशील
15.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बांदगांव	778	16-03-2012	चौरई	दो वर्षों से अकार्यशील
16.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, ठिसगोरा	780	16-03-2012	परासिया	दो वर्षों से अकार्यशील
17.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, नरसला	789	28-04-2012	पांडुर्णा	दो वर्षों से अकार्यशील
18.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, करवाहेटी	790	28-04-2012	पांडुर्णा	दो वर्षों से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
19.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, बाबई	793	28-04-2012	अमरवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
20.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पिपरियाराजगुरू	794	28-04-2012	अमरवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
21.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, पलटवाड़ा	795	28-04-2012	परासिया	दो वर्षों से अकार्यशील
22.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, हरहेट	796	28-04-2012	परासिया	दो वर्षों से अकार्यशील
23.	स्टेट बैंक कर्म. गृह निर्माण सह. समिति, छिन्दवाड़ा (नंबर 2).	26	21-04-1976	छिन्दवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
24.	शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खजरी	84	26-06-1984	छिन्दवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
25.	शिवानी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., अमरवाड़ा	539	30-01-1996	अमरवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
26.	सदगुरू बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	86	23-02-1962	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
27.	प्रकाश बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	393	17-01-1981	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
28.	ज्योति बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	396	17-01-1981	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
29.	संगम बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	397	17-01-1981	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
30.	जयशारदा बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	69	12-03-1984	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
31.	कविता बुनकर सहकारी समिति, मोहगांव	512	10-04-1995	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
32.	जवाहर बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	249	27-2-1965	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
33.	सुभाष बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	219	27-2-1965	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
34.	श्री सत्यसाई महिला बहु. सहकारी समिति, बतरी	691	19-06-2007	चौरई	दो वर्षों से अकार्यशील
35.	इंडियन कुक्कड़ उत्पा. सह. समिति, मोहगांव	758	26-1-2011	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
36.	दि मोहखेड़ विपणन सह. समिति, उमरानाला	18	10-11-1966	मोहखेड़	दो वर्षों से अकार्यशील
37.	बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., बिछुआ	741	30-9-2010	बिछुआ	दो वर्षों से अकार्यशील
38.	जयभवानी बीज उत्पा. सह. समिति, हरई	742	30-9-2012	हरई	दो वर्षों से अकार्यशील
39.	चारगांव बीज उत्पा. सह. समिति, चारगांव	745	12-11-2010	मोहखेड़	दो वर्षों से अकार्यशील
40.	सर्वोदय बीज उत्पा. सह. समिति, सौंसर	751	3-2-2011	सौंसर	दो वर्षों से अकार्यशील
41.	जयकृष्णक बीज उत्पा. सह. समिति, मनकुघाटी	756	31-3-2011	जुन्नारदेव	दो वर्षों से अकार्यशील
42.	नवचेतना प्रजापति उद्योग सह. समिति, छिन्दवाड़ा	146	24-08-1987	छिन्दवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
43.	इंदिरा महिला सिलाई कढ़ाई उद्योग सह. समिति, दमुआ	522	29-9-1995	जुन्नारदेव	दो वर्षों से अकार्यशील
44.	तिलहन उत्पादक सह. समिति, सिंगोड़ी	251	1-10-1984	अमरवाड़ा	दो वर्षों से अकार्यशील
45.	तिलहन उत्पादक सह. समिति, झिलमिली	252	25-09-1990	चौरई	दो वर्षों से अकार्यशील
46.	प्रगति श्रम ठेका सह. समि. मर्या., दमुआ	828	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
47.	आदर्श खाद्यान्न क्रय-विक्रय सह. समिति, दमुआ	822	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
48.	किसान बीज उत्पा. सह. समिति, झिलमिली	834	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
49.	मां बंजारी महिला बहु. सह. समिति, छिन्दवाड़ा	836	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
50.	जय किसान बीज उत्पा. सह. समिति, पांढुर्णा	839	10-01-2014	पांढुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
51.	रानी दुर्गावती महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, जमुनियाकला.	841	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
52.	मदर टेरेसा महिला अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सांख.	842	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
53.	विवेकानंद अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रामगढ़.	843	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
54.	कल्याणी महिला अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सुरलाखापा.	844	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
55.	भामा शाह अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सेजा.	845	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
56.	रानी अवंतीबाई महिला अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सुखारीकलॉ.	846	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
57.	जय कृष्णा महिला अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, चांद.	847	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
58.	राधिका महिला अनाज क्रय विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खमारपानी.	848	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
59.	श्री साईं कृपा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मरकावाड़ा.	849	10-01-2014	पांढुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
60.	नर्मदा फल फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रिधोरा.	850	10-01-2014		पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
61.	श्री राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रिधोरामाल.	851	10-01-2014		पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
62.	शिवशंकर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रामगढ़.	852	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
63.	विपुल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हलाल कलॉ.	853	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
64.	जय अन्नपूर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कपुर्दा.	854	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
65.	वमी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, आमामोह.	855	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
66.	बलराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, केरिया.	856	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
67.	जय अम्बे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, नौलझिर.	857	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
68.	जय बलराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोआदेई.	858	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
69.	साँईराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, आमगांव.	859	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
70.	हलधर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पखडिया.	860	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
71.	बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पिपरियाकलॉ.	861	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
72.	हरिओम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भैंसादण्ड.	862	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
73.	मां शारदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिमरियाकलॉ.	863	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
74.	शिवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, नवेगांव मकरिया.	864	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
75.	राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उदादौन.	865	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
76.	जागृति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हरनाखेड़ी.	866	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
77.	धुंआधार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बतरी.	867	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
78.	प्रगति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, चीजगांव.	868	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
79.	नीलकंठ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सलैया.	869	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
80.	ओम शक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, शहपुरा.	870	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
81.	कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लीखावाड़ी.	871	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
82.	शिवशक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भाजीपानीकलॉ.	872	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
83.	विकास फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, चिखलीखुर्द.	873	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
84.	जय बजरंग बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, समसवाड़ा.	847	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
85.	श्री हिंगलाज बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, शीलादेही.	875	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
86.	बलदाऊ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खैरीभोपाल.	876	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
87.	लक्ष्मी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, गुरैया.	877	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
88.	अन्नादाता बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, नारायणपुर.	878	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
89.	उत्तम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मड़ई.	879	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
90.	जय कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पांजरा.	880	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
91.	दादाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खजरी.	881	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
92.	मारूती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, चन्हियाकला.	882	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
93.	समर्थ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सुसरई.	883	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
94.	सतपुड़ा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, गंगई.	884	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
95.	श्री राम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित. लीखावाड़ी.	885	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
96.	प्रभात बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोरडोंगरी.	886	10-01-2014	पांढुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
97.	एश्वर्या बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हिवरापृथ्वीराम.	887	10-01-2014	पांढुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
98.	क्रांती फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, थुनियाउदना.	888	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
99.	जय किसान सेवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोरडोंगरी.	889	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
100.	कन्हान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिंदरई गुरैयाथार.	890	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
101.	उज्ज्वल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, शिकारपुर.	891	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
102.	शुभम एग्रो बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उमरेठ.	892	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
103.	ओम साईं बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रोहनाकला.	893	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
104.	आकाश बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कुण्डा.	894	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
105.	भोला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भानादेही.	895	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
106.	जय तिरूपति बालाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सरा.	896	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
107.	रुचि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सुनारी मोहगांव.	897	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
108.	पवार आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लहगडुआ.	898	10-01-2014	मोहखेड	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
109.	प्रतीक बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पगारा.	899	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
110.	किसान परिवार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, गोरखघाट.	900	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
111.	जय श्री कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मेघासिवनी.	901	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
112.	जय लटोरया बाबा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरईकलॉ.	902	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
113.	बजरंग बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सांवली.	903	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
114.	श्री दादाजी फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुमका.	904	10-01-2014	हरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
115.	ज्योति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, नवलपुर.	905	10-01-2014	हरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
116.	कल्पतरू फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर.	906	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
117.	माँ भगवती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सरासांवरी.	907	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
118.	श्री विट्ठल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बेरडी.	908	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
119.	ठिया बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रामाकोना.	909	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
120.	वाटिका बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कौंदाडोंगरी.	910	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
121.	सत्यसाई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खैरवाड़ा.	911	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
122.	मोरढाना बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रजाड़ा.	912	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
123.	जय प्रगति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लेंदाघोंदी.	913	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
124.	बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खेडी.	914	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
125.	भुमका बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बदनूर.	915	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
126.	खुशी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हतलेवा डोला.	916	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
127.	जय सतपुड़ा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, डोकलीखुर्द.	917	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
128.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव.	918	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
129.	आनंद बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरईकलॉ.	919	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
130.	आदर्श फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुम्मा.	920	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
131.	गायत्री कृषक बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सारंगबिहरी.	921	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
132.	सिद्धेश्वरी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुताई.	922	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
133.	जय भोले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, करलाकलॉ.	923	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
134.	श्री दत्त बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खापरखेड़ा.	924	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
135.	संस्कृति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सांवरी.	925	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
136.	उत्थान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, डोलापांजरा.	926	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
137.	जय शारदा माँ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिहोरा मड़का.	927	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
138.	न्यू पवार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, टेमरनीकलॉ.	928	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
139.	निर्मल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, गोरेघाट.	929	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
140.	आशा आकांक्षा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पालाखेड़.	930	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
141.	कीर्ती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खूनाझिरखुर्द.	931	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
142.	खेड़ापति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, जाखावाड़ी.	932	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
143.	जय भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सांवरी बाजार.	933	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
144.	जय माँ काली फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोआदेही.	934	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
145.	शिवशक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उमरवाह.	935	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
146.	गुरुदेव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, दीघावानी.	936	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
147.	माँ खेड़ापति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, केकड़ा.	937	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
148.	आस्था बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बीसापुरकलाँ.	938	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
149.	जय वीर किसान फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिराठा.	939	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
150.	उन्नति किसान फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रझाडीखापा.	940	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
151.	नगझिर फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रजाड़ा.	95	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
152.	साईं फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया राजगुरू.	1002	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
153.	जागृति फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खामीहीरा.	1003	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
154.	जय बजरंग फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिजोरीगुमाई.	1004	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
155.	जय श्री मां शारदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, थुयेपानी.	1006	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
156.	हरि कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, धगड़िया.	942	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
157.	ओम सत्य साईं बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, अमरवाड़ा.	943	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
158.	माँ निर्मला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिरस.	944	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
159.	जय श्री राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, अम्बाड़ाखुर्द.	945	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
160.	जय दुर्गे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हतलेवा.	946	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
161.	जय माँ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हिरी.	947	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
162.	नव आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, चिखलार.	948	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
163.	जय माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, गोहरगांव.	949	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
164.	तुलसी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनीतुरा.	950	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील



1	2	3	4	5	6
165.	जय शिवशक्ति फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रामगढ़.	951	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
166.	डुंगरिया फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, डुंगरिया.	952	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
167.	धनश्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भूली.	953	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
168.	श्री दादाजी धूनीवाले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, देवखापा (भंदारगोंदी).	954	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
169.	बलराम फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कामठी.	955	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
170.	रानीघाट फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, केवलारी.	956	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
171.	धनवर्षा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लुंगसी.	957	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
172.	जय माता भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिछुआ.	958	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
173.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, देलाखारी.	959	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
174.	जय गंगा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हिरी.	960	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
175.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बंधीबोदल कछार.	961	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
176.	जय शिव भोले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया.	962	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
177.	धनसदगुरु बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, टेमनीकला.	963	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
178.	श्री उज्ज्वल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, आजनगांव.	964	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
179.	कृषक प्रगति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, चिचखेड़ा.	965	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
180.	देवरानीदाई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कारीडोंगरी.	966	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
181.	माँ गायत्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रावनवाड़ा.	967	10-01-2014	परासिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
182.	जय श्री किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, देलाखारी.	968	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
183.	जय श्री माँ अम्बे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खेरीमाली.	969	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
184.	पातालकोट फल-फूल, साग-सब्जी, बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, श्री झोंत.	970	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
185.	रानी दुर्गावती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भैंसाडोंगरी.	971	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
186.	मातृभूमि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रझाड़ीखापा.	972	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
187.	केशव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, गोरलीखापा.	973	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
188.	श्री पंढरीनाथ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, वाडेगांव.	974	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
189.	जय हरिओम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पैलेपार ( मारूढ़ )	975	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
190.	यशोधन बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मारूढ़.	976	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
191.	जय माँ भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, देनी.	978	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
192.	माँ वैष्णवी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लोहारबतरी.	979	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
193.	माँ उज्जवला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, तुमड़ागड़ी.	980	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
194.	जय हरि किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुम्मा.	982	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
195.	श्री आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव.	983	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
196.	उन्नत बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, टूनवाड़ा.	984	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
197.	सर्वोत्तम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पनारा.	985	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
198.	शक्तिढाना बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, शक्तिढाना.	986	10-01-2014	मोहखेड़	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
199.	जय श्री माँ वैष्णवी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सोनपुर.	987	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
200.	माँ गंगा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भुमका.	988	10-01-2014	हरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
201.	जय श्री माँ नर्मदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिछुआ.	989	10-01-2014	हरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
202.	जय माँ गायत्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पंधराखेड़ी.	990	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
203.	बालाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पेटदेवरी.	991	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

1	2	3	4	5	6
204.	साईं समर्थ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कोपाखेड़ा.	992	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
205.	कन्हान फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, रामनगरी.	993	10-01-2014	जुन्नारदेव	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
206.	रामकृष्ण फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, छुई.	994	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
207.	मातारानी फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उदादौन.	995	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
208.	वनांचल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बोरपानी.	996	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
209.	नवीन बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खूंटपिपरियां.	997	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
210.	श्री हरि कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सौंसर.	998	10-01-2014	सौंसर	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
211.	जय माता दी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पलासपानी.	999	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
212.	विकल्प फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, तिगांव.	1000	10-01-2014	पांडुर्णा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
213.	नव जागृति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोघर.	1001	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
214.	जय बलराम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सारसडोल.	1005	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
215.	सुरूचि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, कुण्डई.	1007	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
216.	माँ कृपा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खमतारा.	1008	10-01-2014	तामिया	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
217.	नवीन खुशी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लिखड़ी.	1009	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
218.	जय श्री राम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, हिर्री.	1010	10-01-2014	अमरवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
219.	श्री बांकेबिहारी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, माचागोरा.	1011	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
220.	स्वर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, टाप.	1012	10-01-2014	चौरई	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
221.	नव आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सांख.	1013	10-01-2014	छिन्दवाड़ा	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
222.	अभिनव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उल्हावाड़ी.	1015	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील
223.	साईनाथ फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिछुआ (मुख्यालय झामटा).	1016	10-01-2014	बिछुआ	पंजीयन दिनांक से अकार्यशील

अतः मैं, दौलतराम गेडाम, उप-आयुक्त, सहकारिता छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील हैं, अतः क्यों न संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्थाएं इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती हैं तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें। यदि संस्थाओं ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(132)

### कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

दिनांक 04 फरवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/251.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर-2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंछि/परि./2014/581, दिनांक 19 मार्च, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर /अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। किन्तु निर्धारित समयावधि में समितियों द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर/अभ्यावेदन/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्थाएं सहमत हैं तथा संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उन्हें अस्तित्व में बनाये रखने का औचित्य नहीं होने से संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियां का प्रयोग करते हुए मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 02 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-70 के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 5 में वर्णित कर्मचारियों को उक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 02 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	दिनांक	परिसमापक
1.	आदर्श गृहनिर्माण सह. समिति, छिन्दवाड़ा	20	09-04-1969	सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा.
2.	नांदियाडोह उद्वहन सिंचाई सह. समिति, सांगंबिहरी	29	07-04-1977	सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़.
3.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति रामगढ़ी	570	29-01-1998	सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा.
4.	जय अम्बे महिला बहु. स. समिति हरई	669	18-11-2005	सहकारिता विस्तार अधिकारी परासिया.
5.	देनवा बीज उत्पा. सह. समिति झिरपा	740	30-09-2010	सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया.
6.	श्री साईं बीज उत्पा. सह. समिति जमुनिया	744	29-10-2010	सहकारिता विस्तार अधिकारी चौरई.
7.	महिला वंशकार उद्योग सह. समिति छिन्दवाड़ा	425	21-03-1983	सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा.
8.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मोहखेड़	85	01-10-1984	सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़.
9.	तिलहन उत्पादक सह. समिति महलपुर	121	01-10-1986	सहकारिता विस्तार अधिकारी मोहखेड़.

यह आदेश आज दिनांक 04 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

दौलतराम गेडाम,

उप-पंजीयक एवं उप-आयुक्त सहकारिता.

(140)

### कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोभी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोभी, पंजीयन क्रमांक 1236, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी, पंजीयन क्रमांक 1237, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोडरामाल, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोडरामाल, पंजीयन क्रमांक 1238, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के



निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मलठार, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मलठार, पंजीयन क्रमांक 1242, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मानेगांव, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मानेगांव, पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चिरईडोंगरी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक

सहकारी समिति मर्यादित, चिरईडोंगरी पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(133-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटेहरा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयवाधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयवाधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटेहरा, पंजीयन क्रमांक 1245, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(133-I)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छपरा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयवाधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयवाधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छपरा, पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(133-J)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चकदेही, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयवाधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयवाधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।



अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चकदेही,, पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-K)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुकासखुर्द, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुकासखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1248, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-L)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डालाखापा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डालाखापा, पंजीयन क्रमांक 1249, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-M)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, परतला, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, परतला, पंजीयन क्रमांक 1250, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-N)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवहार, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवहार, पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-O)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरईमाल, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरईमाल, पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-P)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भावल, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भावल, पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कापा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कापा, पंजीयन क्रमांक 1254, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घोटखेडा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घोटखेडा, पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को

परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(133-S)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जुझारी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जुझारी, पंजीयन क्रमांक 1256, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(133-T)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खम्हरिया, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खम्हरिया, पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(133-U)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अहिरवाडा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अहिरवाडा, पंजीयन क्रमांक 1363, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. सी. अग्रवाल,  
सहायक रजिस्ट्रार.

(133-V)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/605, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से सूखा आमखेड़ा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सूखा आमखेड़ा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./374, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. के. मोहता, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सूखा आमखेड़ा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सूखा आमखेड़ा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सूखा आमखेड़ा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सूखा आमखेड़ा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./374, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(134)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/598, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से मूडरा गजार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा गजार, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./386, दिनांक 1 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. के. मोहता, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा मूडरा गजार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा गजार, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मूडरा गजार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा गजार, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./386, दिनांक 1 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(134-A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/603, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से देहरी तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देहरी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./381, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा देहरी तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देहरी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये देहरी तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देहरी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./381, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**भूपेन्द्र प्रताप सिंह,**

उप-पंजीयक.

(134-B)

### कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 16 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/50.- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उचौद, तह. शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 30 अगस्त, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/930, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 16 जनवरी, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 16 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(135)

शाजापुर, दिनांक 16 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/51.- हरिओम साख उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा, तह. नलखेड़ा, जिला आगर मालवा, पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 22 फरवरी, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/947, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 16 जनवरी, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 16 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(135-A)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,  
द्वारा अध्यक्ष माँ दुर्गा बचत सहकारी संस्था मर्या., टुकराना,  
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.  
पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/130.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :-

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(135-B)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,  
द्वारा अध्यक्ष माँ संतोषी बचत सहकारी संस्था मर्या., तिलावद गोविन्द,  
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.  
पंजीयन क्रमांक 44, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/131.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :-

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(135-C)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,  
द्वारा अध्यक्ष माँ दुर्गा बचत सहकारी संस्था मर्या., पाडली,  
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.  
पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/132.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :-

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(135-D)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,  
द्वारा अध्यक्ष माँ सरस्वती बचत सहकारी संस्था मर्या., आलाउमरोद,  
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.  
पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/133.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :-

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3)



एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(135-E)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष माँ पार्वती बचत सहकारी संस्था मर्या., मझानिया,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/134.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(135-F)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष माँ अम्बे बचत सहकारी संस्था मर्या., बरवाल,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 09 जनवरी, 2002, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/135.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(135-G)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष माँ वैष्णव बचत सहकारी संस्था मर्या., लडावद,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 09 जनवरी, 2002, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/136.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(135-H)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष माँ गायत्री बचत सहकारी संस्था मर्या., रथभवर,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 19 जनवरी, 2002, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/137.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(135-I)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,  
द्वारा अध्यक्ष माँ गायत्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडौद,  
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.  
पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 31 जुलाई, 2006, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/138.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(135-J)

शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,  
द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोनखुर्द,  
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.  
पंजीयन क्रमांक 381, दिनांक 5 सितम्बर, 1986, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./15/139.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :-

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 23 मार्च, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

आर. के. मालवीय,  
उप-पंजीयक.

(135-K)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन

संशोधित आदेश

प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 5 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम 06 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे:-

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक/दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., सुरपाला	1235/20-09-2013	1235/20-09-2013	श्री संतोष जोशी, व. स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., भानबरड	1337/07-10-2013	1337/07-10-2013	श्री संतोष जोशी, व. स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.
3.	महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., बडवाह.	1592/22-12-2014	1592/22-12-2014	श्री संतोष जोशी, व. स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.
4.	नर्मदा बायोप्रोडैक्ट सहकारिता मर्यादित, बडूद.	1592/22-12-2014	1592/22-12-2014	श्री संतोष जोशी, व. स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.
5.	दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., भोगावानिपानी.	1348/07-10-2013	1348/07-10-2013	श्री ललित भावसार, स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.
6.	दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., नगांवा.	1347/07-10-2013	1347/07-10-2013	श्री ललित भावसार, स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.
7.	दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., टेमला	1349/07-10-2013	1349/07-10-2013	श्री ललित भावसार, स. नि.	श्री मोहनलाल सितलानी, सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

सहकारिता के पत्र आवक दिनांक 28 जनवरी, 2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संचालक मंडल की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा संस्था विगत 6 वर्षों से उद्देश्य पूर्ति में असफल रही है। संस्था द्वारा प्रस्ताव ठहराव जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त कराने का निर्णय लिया गया है। संस्था का पंजीयन निरस्ती हेतु आवेदन किया गया है। परिसमापक नियुक्ति हेतु पत्र के माध्यम से आवेदन भी किया गया है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारिता मर्यादित, मोठापुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक/डी. आर./159/दिनांक 19 मई, 2008 को इस आदेश द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(136-A)

### कार्यालय परिसमापक मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी साख सहकारिता मर्या., भीकनगांव

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी साख सहकारिता मर्या., भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 94, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1796, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(137)

### कार्यालय परिसमापक संस्कार साख सहकारिता मर्या., खरगोन

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

संस्कार साख सहकारिता मर्या., खरगोन तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 79, दिनांक 12 जुलाई, 2005 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1781, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(137-A)

## कार्यालय परिसमापक दि. वेस्ट निमाड़ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, खरगोन

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दि. वेस्ट निमाड़ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 98, दिनांक 7 मार्च, 2006 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1800, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(137-B)

## कार्यालय परिसमापक केशव माधव स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., खरगोन

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

केशव माधव स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./97, दिनांक 30 जनवरी, 2006 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1799, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(137-C)

## कार्यालय परिसमापक जनहित साख सहकारिता मर्या., खरगोन

दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

जनहित साख सहकारिता मर्या., खरगोन तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 22, दिनांक 01 अगस्त, 2003 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1725, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1365, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की

अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(137-D)

### कार्यालय परिसमापक स्वामी समर्थ साख सहकारिता मर्या., खरगोन

दिनांक 05 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

स्वामी समर्थ साख सहकारिता मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./ 122, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1823, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1, दिनांक 01 जनवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 05 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नवीन मुहावरे,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(137-E)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./267-ए, दिनांक 05 फरवरी, 2013 द्वारा क्षिप्रा बीज (अनाज, दलहन, तिहलन) सब्जी, फल-फूल उत्पादक विपणन भण्डारण अनुसंधान सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1502, दिनांक 31 मार्च, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(138)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 146, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा विविध वस्त्र व्यवसायी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 15 फरवरी 1953 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(138-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1482, दिनांक 3 जुलाई, 2013 द्वारा अनुसूचित जाति ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन तहसील एवं जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 24 मई, 1994 हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(138-B)

### कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 07 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र/परिसमापन/2015/189.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम द्वारा निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक /दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसा. मर्या., सुजलाना, जिला रतलाम	240/02-08-1978	1386/17-12-2014
2.	लोक कल्याण विकास सहकारी सोसा. मर्या., सेलाना, जिला रतलाम	820/26-04-2005	1388/17-12-2014
3.	विशाल महिला बहु. उद्देशीय सहकारी सोसा. मर्या., लाल गुवाडी, जिला रतलाम.	798/13-09-2004	1389/17-12-2014
4.	डॉ. राधाकृष्णन शिक्षक साख सा. सोसा. मर्या., रिगनोद, जिला रतलाम	152/19-02-1969	1390/17-12-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त संस्थाओं के क्रमशः लेनदारों/देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनकी सम्बन्धित संस्था की कोई भी लेनदारी/देनदारी हो तो इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह (60 दिवस) की अवधि में अपनी लेनदारी/देनदारी का दावा (क्लेम) मय प्रमाण के मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, हाकिमबाड़ा, रतलाम में कार्यालयीन समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि के बाद कोई दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तथा परिसमापक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

सूचना आज दिनांक 07 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एन. के. नान्देचा,  
सहकारी निरीक्षक.

(139)



**कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 26 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निर्मांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, बोरतलाई	2846/28-05-2005	719/29-03-2014
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., दुधवासा	2836/26-05-2005	720/29-03-2014
3.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., गूजरखेड़ी	2666/28-01-1999	721/29-03-2014
4.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., आरी	2663/18-06-1998	722/29-03-2014
5.	स्वायत्त साख सह. समिति, अजनेरी	73/12-04-2006	1062/10-09-2013
6.	नर्मदा स्वायत्त साख मर्या., अजेरा	74/21-04-2006	1062/10-09-2013
7.	सिन्धु स्वायत्त साख मर्या., सोहागपुर	84/12-12-2006	1062/10-09-2013
8.	भगवती स्वायत्त साख सह., सोहागपुर	32/30-06-2003	1062/10-09-2013
9.	माँ सरस्वती विप. सह. समिति, सोहागपुर	96/13-11-2007	1062/10-09-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो (02) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

बी. के. शर्मा,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(141)

**कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना**

दिनांक 02 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निर्मांकित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गयी संस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन के आदेश क्र. व दिनांक
1.	दूरसंचार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना	642/08-03-1986	1190/10-12-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद

में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

ठाकुर प्रसाद,

वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(142)

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 02 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लायी गयी संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इटहा खोखरी	477/12-03-2004	1223/10-12-2014
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुढ़वा	476/09-03-2004	1220/10-12-2014
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पपरेंगा	474/06-03-2004	1219/10-12-2014
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कैलाशपुर	472/11-02-2004	1218/10-12-2014
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवरी	451/02-05-2003	1216/10-12-2014
6.	कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना	600/31-03-1980	1191/10-11-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एन. पी. शर्मा,

वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(143)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/144.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बिलहरा	517/21-08-1991	138/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

**बसंत कुमार रोहित,**

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक।

(144)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/145.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	विपणन सहकारी समिति मर्या., बण्डा	556/30-10-1946	135/23-01-2015
2.	शिवा हाथकरघा सहकारी समिति मर्या., सौरई	502/09-01-1995	139/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(145)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/146.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	राजीव गांधी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बरायठा	691/08-07-1997	134/23-01-2015
2.	रैकवार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बीलाडेम	310/12-02-1978	140/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाओं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

राम जी खरे,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(145-A)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, केसली

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/147.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., केसली	134/19-03-2003	137/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

रजनीश नायक,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(146)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/148.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., भगतसिंह वार्ड, बीना	662/02-12-1996	132/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेशित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

ऋषभ जैन,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(147)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/149.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था का	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., राहतगढ़	120/29-06-1999	136/23-01-2015
2.	अ. जा. महिला विकास सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़	1100/10-03-2004	142/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेशित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एस. एस. दीक्षित,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(148)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी**

सागर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./15/150.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	रानीदुर्गावती प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गौरझामर	722/19-12-1997	133/23-01-2015
2.	समहित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., छिवला	1230/21-12-2006	141/23-01-2015
3.	श्री गणेश कामगार सहकारी समिति, देवरी	143/24-10-2006	143/23-01-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

**राकेश कुमार जैन,**

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(149)

**कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ**

झाबुआ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 03 ग्रामों के वर्तमान भूमि-उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 02 जनवरी, 2015 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्तियां, सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किये गये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अंतर्गत एतद्द्वारा उक्त 3 ग्रामों के भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं और उसकी एक प्रति दिनांक 16 मार्च, 2015 से 24 मार्च, 2015 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :-

1. आयुक्त, इंदौर, संभाग इंदौर.
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ.
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, झाबुआ.
4. नगरपालिका परिषद्, कार्यालय झाबुआ.

**अनुसूची****झाबुआ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 03 अतिरिक्त ग्रामों की सूची**

जिला झाबुआ

रतनपुरा, मिण्डल, बाडकुंआ.

वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकरण सम्बन्धी सूचना की प्रति अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (4) अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिये गये हैं।

**कविता नागर,**

सहायक संचालक.

(151)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015-फाल्गुन 22, शके 1936

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2014

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के बैतूल, छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुल्ताई (बैतूल), जुन्नारदेव, तामिया, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील खकनार, नेपालनगर (बुरहानपुर), आमला (बैतूल), छिन्दवाड़ा, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील परासिया, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, धार, सीहोर, बैतूल, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, आगर, झाबुआ, धार, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला बुरहानपुर में फसल सोयाबीन व सीहोर, होशंगाबाद, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में धान व पन्ना, कटनी, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, शहडोल, उमरिया, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगाढ़ .. 6. कैलारस ..	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..	.. .. ..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .... 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..	.. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..	.. .. .. ..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..	.. .. ..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..	.. .. .. .. .. .. .. ..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, गन्ना, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा .. 2. बटियागढ़ .. 3. दमोह .. 4. पथरिया .. 5. जवेरा .. 6. तेन्दूखेड़ा .. 7. पटेरा ..	.. .. .. .. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, मसूर, अलसी, सरसों कम. चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर .. 2. मझगावां .. 3. रामपुर-बघेलान .. 4. नागौद .. 5. उचेहरा .. 6. अमरपाटन .. 7. रामनगर .. 8. मैहर .. 9. बिरसिहपुर ..	.. .. .. .. .. .. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूँग, उड़द, अरहर, तिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर .. 2. सिरमौर .. 3. मऊगंज .. 4. हनुमना .. 5. हजूर .. 6. गुढ़ .. 7. गयपुरकर्चुलियान ..	.. .. .. .. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, अरहर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर .. 2. ब्यौहारी .. 3. जैसिंहनगर .. 4. जैतपुर ..	.. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राहर, कोदों कम. रामतिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी .. 2. अनूपपुर .. 3. कोतमा .. 4. पुष्पराजगढ़ ..	.. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर अधिक. सोयाबीन, राई-सरसों, अलसी कम. कोदों, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ .. 2. पाली .. 3. मानपुर ..	.. .. ..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) राई, सरसों, अलसी, चना, मसूर, मटर, जौ, गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. रायडा समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>*जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>*जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द कम. धान, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ...	7. ...
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	18.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	24.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर, धान, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ...	5. ...	7. ...
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान अधिक. ज्वार कम. मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	2.0		(2) ..		
3. शाहपुर	14.6				
4. चिचोली	1.3				
5. बैतूल	12.2				
6. मुलताई	8.5				
7. आठनेर	..				
8. आमला	18.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, तुअर अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, मूँग, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	.. .. .. .. ..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	.. .. ..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	17.6 14.4 53.0 6.2 23.0 .. 26.4 19.4 36.0 3.4 14.2				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा	.. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	.. .. .. .. .. ..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.